

प्रेषक,

श्री अशोक यांगुली,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 समुदाय केन्द्र,
प्रौद्योगिक विहार नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

तख्तः दिनांक: 29 मई 1999

विषय:- यंग स्कालर्स एकाडमी स्टेशन रोड शिकोहाबाद फिरोजाबाद को सी०बी०
एस०ई० नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि यंग स्कालर्स
एकाडमी स्टेशन रोड शिकोहाबाद फिरोजाबाद को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली
से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित
प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समस्त समय पर नवीनीकरण
कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित
एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिभा त्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश
माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न
कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की
जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से
अथवा केन्द्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय
की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौशल फार दि
इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इन्वैस्टिगेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती
है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से
परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त
हो जायेगी ।
- 151 संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता
प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित वेतनमानों तथा
अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।

- 16। कर्मचारियों की सेवा शर्तों बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अज्ञातकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्त्र सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रमन/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- 19। अबत शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्यालय में अप्रशिक्षित अध्यापक कार्यरत न हो तथा विद्यालय का भवन/भूमि निजी स्वामित्व में हो ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की धूल या गिरिविनाश करती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

अशोक गांगुली।
संयुक्त सचिव ।

पुं० सं० 1537111/15-7-1999 तदुद्दिनांक
=====

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, फिरोजाबाद ।
- 4- निरीक्षक, जॉन्स भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, पंग स्कालर्स एकाडमी स्टेशन रोड शिकोहाबाद, फिरोजाबाद ।

आका से,

अशोक गांगुली।
संयुक्त सचिव ।